न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 24/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— मोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी ग्राम पिथरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

———अपीलान्ट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थिः— श्री अरविन्द चालिया — अभिभाषक अपीलांट

— श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 26.11.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 21.12.2011, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 656/89 एसडीएम(एस) बीकानेर बना है, जिस पर शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 3336 बी/9 दर्ज है तथा दिनांक 31.12.07 तक नवीनीकृत है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष दिनांक 07.08.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 503 दिनांक 30.11.11 में आवेदक के विरूद्ध मुकदमा संख्या 8/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट दर्ज हुआ । माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नोखा में बाद अनुसंधान प्रकरण में एफ.आर. स्वीकृति हेतु विचाराधीन होना बताते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 656/89 के नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2011 पारित कर अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रुप से कथन किया कि एफ.आई.आर. सं. 08/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना पांचू में बाद अनुसंधान एफ.आर. माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, नोखा में स्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में अपीलांट के विरूद्ध कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य व सामग्री नहीं है, जिससे अपीलांट किसी आयुद्ध या गोला बारूद के अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से उस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये किसी कारण से अयोग्य हो । उसके बाद भी आदेश जेर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने गलती की है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया है कि शपथ पत्र में मुकदमें से संबंधित जानकारी छुपाई गई है, जबकि आवेदन पत्र के संलग्न शपथ पत्र में उक्त मुकदमें का उल्लेख किया गया है, जिसमें एफ.आर. स्वीकृत होकर अभियोग समाप्त हो चुका है। अपीलांट का लाईसेंस नवीनीकरण योग्य हो गया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय में बिना गौर किये, बिना माईन्ड एप्लाई किये फैसला किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 30.11.11 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा सं0 8/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में उल्लेखित मुकदमे में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, नोखा द्वारा एफ.आर. स्वीकृत कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा कहीं भी विचाराधीन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.11 में जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट क्रमांक 503 दिनांक 30.11.11 के अनुसार अपीलांट ने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त मुकदमे का उल्लेख नहीं करके तथ्य छुपाया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मूल शपथ पत्र में इस तथ्य का अपीलांट ने स्पष्ट उल्लेख किया है। परन्तु सहा.लोक अभियोजक के कथन एवं अधिनस्थ कार्यालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 30.11.11 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक मु0नं0 8/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ है, आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है, जिससे हम सहमत हैं। इसके अलावा अपीलांट द्वारा वरवक्त बहस हमारे समक्ष अन्य कोई नये साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2011 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त कर जाती है।

7. अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:17:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: